न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:– 12/138/2023 रजू दिनांक: 14.12.2023 रजि0 न0 2023/709

अपीलार्थी:–

श्री हरिमोहन जांगिड पुत्र श्री घनश्याम जांगिड, निवासी ग्राम पोस्ट व तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर 322028 (राजस्थान)।

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 15.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/सम/45 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील नोटिस के अनुसरण में वांछित सूचना के क्रम में कार्यालय अभिलेख में जांच कराये जाने पर बिन्दु सं02 अन्तर्गत संदर्भित शिकायत प्रा0पत्र 28.06.2022 इस कार्यालय को प्राप्ति का अभाव पाया गया, बिन्दु सं0 1 में वांछित विवाह पंजीयन के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर प्रभारी अधिकारी (कोर्ट) कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक कोर्ट/2024/16 दिनांक 04.01.2024 से प्राप्त सूचनानुसार विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह पंजीयान किया जाना नहीं पाया गया। अतः सूचना शून्य में है। प्रकरण में कार्यालय द्वारा विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील अपीलर्थी को जवाब उपलब्ध कराया जा चुका है अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 15.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय ... अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)